

## OrderPrint



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8,अरेरा हिल्स, जेल रोड,  
भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5903/2019/ 13600

भोपाल, दिनांक: 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. ANURAJ SINGH PARIHAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN SINGH PARIHAR की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Mohna, District - Shajapur में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5903/2019/ 13601

भोपाल, दिनांक: 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Shajapur म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, Ujjain म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Shajapur म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Shajapur म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक ANURAJ SINGH PARIHAR की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/5903/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./9192/2019/ 13616

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. SURESH MEHTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMAN MEHTA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Khetia-, District - Barwani में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

*Vaishya*

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./9192/2019/ 13617

भोपाल, दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Barwani म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Indore म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Barwani म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Barwani म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक SURESH MEHTA की ओर पालनार्थ।

*Vaishya*

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/9192/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11629/2019/ 13624

भोपाल, दिनांक: 15-11-19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. VIPIN PANDEY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN LAL PANDEY की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC DIHIYAPADAN, District - Rewa में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11629/2019/ 13625

भोपाल, दिनांक: 15-11-19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Rewa म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Rewa म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Rewa म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Rewa म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक VIPIN PANDEY की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11629/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स , जेल रोड , भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./10513/2019/ 13626

भोपाल, दिनांक 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. NARENDRA DHAKAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI BADRI PRASAD DHAKAD की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर Functional Unit - SNCU/PICU , Institution - DH Guna , District - Guna में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./10513/2019/ 13627

भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Guna म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Gwalior म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Guna म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Guna म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक NARENDRA DHAKAD की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/10513/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11632/2019/ 13628


भोपाल, दिनांक 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. PUSHRAJ SINGH PARMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH SINGH PARMAR की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Karanwas, District - Rajgarh में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000 /- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11632/2019/ 13629

भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Rajgarh म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Bhopal म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Rajgarh म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Rajgarh म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक PUSHRAJ SINGH PARMAR की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11632/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11623/2019/ 13610

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. AMAN SIDDIQUI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री IQBAL SIDDIQUI की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Mordongri, District - Chhindwara में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000 /- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11623/2019/ 13611

भोपाल, दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Chhindwara म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Jabalpur म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Chhindwara म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Chhindwara म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक AMAN SIDDIQUI की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11623/08-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11639/2019/ 13620

भोपाल, दिनांक 15-11-19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 30-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. PRAKASH C BUNDELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI K B BUNDELA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - CD Chhatri Chowk, District - Ujjain में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11639/2019/ 13621

भोपाल, दिनांक 15-11-19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Ujjain म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Ujjain म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Ujjain म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Ujjain म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक PRAKASH C BUNDELA की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11639/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11640/2019/ 13622

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 30-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. ABHIDEEP SHAKALYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DILIP SHAKALYA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - UPHC Jaora, District - Ratlam में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11640/2019/ 13623

भोपाल, दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Ratlam म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Ujjain म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Ratlam म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Ratlam म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक ABHIDEEP SHAKALYA की ओर पालनार्थ।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11640/13-11-2019





राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5773/2019/ 13606

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 09-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. HEMANT KUMAR MAHOR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN PRASAD MAHOR की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर Functional Unit - DRTB Center, Institution - , District - Bhopal में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5773/2019/ 13607

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Bhopal म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Bhopal म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Bhopal म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Bhopal म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक HEMANT KUMAR MAHOR की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/5773/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./9191/2019/ 13604

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 09-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. MEENAKSHI PANDEY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMASHANKAR PANDEY की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर Functional Unit - HDU, Institution -, District - Bhopal में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./9191/2019/ 13605

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Bhopal म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Bhopal म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Bhopal म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Bhopal म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक MEENAKSHI PANDEY की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/9191/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11628/2019/13630

भोपाल, दिनांक :  
15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. HEMANT SINGH DHAKAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI PRASAD DHAKAD की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Awan, District - Guna में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11628/2019/13631

भोपाल, दिनांक :  
15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Guna म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Gwalior म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Guna म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Guna म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक HEMANT SINGH DHAKAD की ओर पालनार्थ।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11628/13-11-2019



**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**  
**मध्य प्रदेश**  
**8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल**



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11634/2019/13632

भोपाल, दिनांक :  
15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. **SOURABH SHARMA** पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **DR R C SHARMA** की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - **PHC Lohana**, District - **Ujjain** में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

*Vaishya*  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11634/2019/13633

भोपाल, दिनांक :  
15.11.19

**प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-**

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Ujjain म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Ujjain म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Ujjain म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Ujjain म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक SOURABH SHARMA की ओर पालनार्थ।

*Vaishya*  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11634/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8,अरेरा हिल्स , जेल रोड , भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./7002/2019/13634

भोपाल, दिनांक :  
15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. NEELESH SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR SINGH की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर , Institution - PHC Ruthiyai , District - Guna में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000 /- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./7002/2019/13635

भोपाल, दिनांक :  
15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Guna म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, Gwalior म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Guna म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Guna म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक NEELESH SINGH की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/7002/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11636/2019/13636

भोपाल, दिनांक:  
15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. AJAY SINGH CHANDEL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH CHAND CHANDEL की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Jawasiyakumar, District - Ujjain में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11636/2019/13636

भोपाल, दिनांक:  
15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Ujjain म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Ujjain म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Ujjain म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Ujjain म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक AJAY SINGH CHANDEL की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11636/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11627/2019/ 13638

भोपाल, दिनांक 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. RAJESH KUMAR PATEL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESH PRASAD PATEL की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Bhidki, District - Jabalpur में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11627/2019/ 13639

भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Jabalpur म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Jabalpur म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Jabalpur म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Jabalpur म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक RAJESH KUMAR PATEL की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11627/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11635/2019/ 13640

भोपाल, दिनांक 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. VARUN SINGH PARTE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI TRIBHUWAN SINGH PARTE की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - UPHC Balaghat, District - Balaghat में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11635/2019/ 13641

भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Balaghat म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, Jabalpur म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Balaghat म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Balaghat म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक VARUN SINGH PARTE की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11635/14-11-2019





राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11618/2019/ 13642

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. SABA HUSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANWAR HUSAIN की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - DH REWA, District - Rewa में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11618/2019/ 13643

भोपाल, दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Rewa म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Rewa म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Rewa म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Rewa म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक SABA HUSAIN की ओर पालनार्थ।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11618/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11617/2019/ 13646

भोपाल, दिनांक 5/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. ROUNAK JAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANIL KUMAR JAIN की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Chakaldi, District - Sehore में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11617/2019/ 13647

भोपाल, दिनांक 5/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Sehore म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Bhopal म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Sehore म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Sehore म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक ROUNAK JAIN की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11617/08-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5870/2019/ 13648

भोपाल, दिनांक 15-11-19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. ABHISHEK MISHRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GYANENDRA PRASAD MISHRA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Tala, District - Umaria में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5870/2019/ 13648

भोपाल, दिनांक 15-11-19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Umaria म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Rewa म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Umaria म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Umaria म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक ABHISHEK MISHRA की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/5870/08-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11630/2019/ 13650

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 23-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. MAHARSHI NARAYAN OJHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VASISTH NARAYAN OJHA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Lakhangan, District - Chhatarpur में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11630/2019/ 13651

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Chhatarpur म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, Sagar म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Chhatarpur म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Chhatarpur म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक MAHARSHI NARAYAN OJHA की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11630/13-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11624/2019/ 13652

भोपाल, दिनांक: 5/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. FIROZ KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LYAKAT KHAN की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर Functional Unit - CE/ONC-L3DP, Institution - PHC Matguan, District - Chhatarpur में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11624/2019/ 13653

भोपाल, दिनांक: 5/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Chhatarpur म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, Sagar म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Chhatarpur म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Chhatarpur म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक FIROZ KHAN की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11624/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./10470/2019/ 13654

भोपाल, दिनांक: 5/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. DR VIJAY MARMAT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SOHANLAL की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर Functional Unit - DRTB Center, Institution -, District - Ujjain में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./10470/2019/ 13655


भोपाल, दिनांक: 5/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Ujjain म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Ujjain म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Ujjain म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Ujjain म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक DR VIJAY MARMAT की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/10470/14-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11622/2019/ 13656

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. TEEKARAM SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHE SHYAM SHARMA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर Functional Unit - SNCU/PICU, Institution - DH Sagar, District - Sagar में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 60000 /- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11622/2019/ 13657

भोपाल, दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Sagar म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Sagar म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Sagar म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Sagar म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक TEEKARAM SHARMA की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11622/08-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5847/2019/ 13658

भोपाल, दिनांक 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. INDAL SINGH DANDOTIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANGAL SINGH DANDOTIYA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Sonagir, District - Datia में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5847/2019/ 13659

भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Datia म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Gwalior म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Datia म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Datia म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक INDAL SINGH DANDOTIYA की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/5847/14-11-2019





**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**  
**मध्य प्रदेश**  
**8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल**



क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./9374/2019/ 13660

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. RAZA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NASIM ULLAH KHAN की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Amlaha No, District - Sehore में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

*Vasuma*  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./9374/2019/ 13661

भोपाल, दिनांक 15.11.19

**प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-**

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Sehore म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Bhopal म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Sehore म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Sehore म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक RAZA KHAN की ओर पालनार्थ।

*Vasuma*  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/9374/08-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11626/2019/ 13662

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. JITENDRA RAGHWANSHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHOK RAGHUWANSHI की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Misrod, District - Hoshangabad में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./11626/2019/ 13663

भोपाल, दिनांक: 15/11/19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Hoshangabad म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Bhopal म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Hoshangabad म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Hoshangabad म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक JITENDRA RAGHWANSHI की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/11626/08-11-2019



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्य प्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5678/2019/ 13664

भोपाल, दिनांक 15.11.19

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 16-Oct-2019 को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित डॉ. RASHMI DODWA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI DEVI SINGH DODWA की पदस्थापना चिकित्सा अधिकारी के पद पर, Institution - PHC Susari, District - Dhar में मिशन के मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मानदेय राशि 65000/- प्रतिमाह पर की जाती है।

संविदा चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। संविदा चिकित्सकों को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./5678/2019/ 13665

भोपाल, दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम, म.प्र.।
5. सलाहकार वित्त/संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ/एन.एच.एम., म.प्र.।
6. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, Dhar म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, Indore म.प्र.।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला Dhar म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला Dhar म.प्र.।
10. आई.टी. शाखा, एनएचएम, म.प्र.।
11. संबंधित चिकित्सक RASHMI DODWA की ओर पालनार्थ।

  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

National Health Mission/5678/14-11-2019